रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 9—जनवरी 15, 2010 (पौष 19, 1931)

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 9—JANUARY 15, 2010 (PAUSA 19, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गईं विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 287

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 21

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 1

भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 23

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छेड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश ..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 63

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस ..... *

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... *

भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 5

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 7

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक ..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 287

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 21

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..... 1

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence..... 23

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..... *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 63

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs..... *

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners..... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies..... 5

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 7

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi..... *

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 दिसम्बर 2009

सं. पीएफजी (446)/84-प्रशा.-II--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क की उप धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा प्रादेशिक निदेशक कार्यालय (पूर्वी क्षेत्र), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कोलकाता में संयुक्त निदेशक, श्री नौबत सिंह को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किया जाता है।

जे. एस. गुप्ता
अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 2009

सं. 7-8/2009-(एम.सी.)--दिनांक 28.11.2009 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 3(2) के अंतर्गत न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एम.एस.ए. सिद्दिकी को पुनः अध्यक्ष मनोनीत करती है।

2. नियुक्ति का कार्यकाल न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एम.एस.ए. सिद्दिकी द्वारा पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष का होगा।

3. न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एम.एस.ए. सिद्दिकी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को आम सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की एक प्रति न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एम.एस.ए. सिद्दिकी को भेजी जाए।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 दिसम्बर 2009

व्यक्ति की पहचान और भू-क्षेत्र के कोडीकरण के लिए मेटाडेटा तथा डेटा मानदण्ड

सं. 2 (32)/2009-ई.जी.-II--जबकि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी), संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) चला रहा है जिसका उद्देश्य उचित शासन और संस्थागत तंत्र की स्थापना करना और केन्द्र एवं राज्य सरकार के स्तर पर कई मिशन मोड परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना है और

जबकि एनईजीपी के अंतर्गत भारत सरकार किसी भी प्रकार के प्रौद्योगिकी अवरोधों से बचने के लिए मुक्त मानदण्डों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है और

जबकि ई-शासन में मानदण्ड उच्च प्राथमिकता वाला एक कार्यकलाप है, जिससे सूचना के आदान-प्रदान में और ई-शासन अनुप्रयोगों में डेटा के अविच्छिन्न अन्तर प्रचालन में सहायता मिलेगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने ई-शासन के लिए मानदण्ड तैयार करने/अभिग्रहण करने के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की है और

जबकि नाम, पता आदि सामान्य तत्वों डेटा एवं मेटाडेटा मानदण्डों की तत्काल आवश्यकता है जो ई-शासन अनुप्रयोगों में आम है। तद्नुसार, किसी व्यक्ति की पहचान बताने और भूमि के कोडीकरण के लिए सामान्य डेटा तत्वों और उनके प्रारूपों का मानकीकरण किया गया और

जबकि मानदण्डों से संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने व्यक्ति की पहचान और भूमि के कोडीकरण के लिए मेटाडेटा तथा डेटा मानदण्डों को अनुमोदित किया है और

इसलिए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना को जारी करने की तारीख से विभिन्न ई-शासन अनुप्रयोगों के मध्य डेटा के आदान-प्रदान के लिए http://egovstandards.gov.in पर प्रकाशित व्यक्ति पहचान तथा भू-क्षेत्र के कोडीकरण के लिए मेटाडेटा तथा डेटा मानदण्डों के इस्तेमाल को अधिसूचित कर रही है।

एस. एस. रावत
संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Ne Delhi, the 16th December 2009

No. PFG(446)/84-Admn. II—In exercise of the powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby authorize Shri Naubat Singh, Joint Director in the office of Regional Director (ER), Ministry of Corporate Affairs, Kolkata for the purpose of the said section.

J. S. GUPTA
Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 18th December 2009

No. 7-8/2009-(MC)—Consequent upon the expiry of the term of the Chairman, National Commission for Minority Educational Institutions (NCMEI) on 28.11.2009 Justice (Retd.) M.S.A. Siddiqui is renominated as the Chairman by the Central Government under Section 3(2) of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004.

2. The tenure of his appointment will be for five years and will take effect from the date on which Justice (Retd.) M.S.A. Siddiqui assumes office.

3. The Headquarters of Justice (Retd.) M.S.A. Siddiqui will be in New Delhi.

ORDER

Ordered that notification be published in the Gazette of India for general information.

Ordered also that a copy of notification be communicated to Justice (Retd.) M.S.A. Siddiqui.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 22nd December 2009

Metadata and Data Standards for Person Identification and Land Region Codification

No. 2(32)/2009-EG-II—Whereas Department of Information Technology (DIT), Ministry of Communications and Information Technology, Government of India (GoI) is driving the National e-Governance Plan (NeGP) which seeks to create the right Governance and Institutional Mechanism and Implement a number of Mission Mode Projects at the Center & State Government and

WHEREAS under NeGP, GoI is promoting the usage of Open Standards to avoid any technology lock-ins and

WHEREAS Standards in e-Governance are a high priority activity, which will help ensure sharing of information and seamless interoperability of data across e-Governance applications. DIT, GoI has setup an Institutional Mechanism under NeGP to evolve/adopt Standards for e-Governance and

WHEREAS there is an immediate need for having Data and Metadata Standards for Generic elements like Name, Address etc which are common across e-Governance applications. Accordingly, Standardization of generic data elements and their formats to describe a Person's Identification and Land Codification was done and

WHEREAS the Competent Authority on Standards has approved Metadata & Data Standards for Person Identification and Land Codification and

Therefore DIT, GoI hereby notifies the use of Metadata & Data Standards for Person Identification and Land Region Codification Published on http:/egovstandards.gov.in for exchange of data between various e-Governance w.e.f. the date of notification.

S.S. RAWAT
Joint Director

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2010
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2010